दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 18.09.2009
निर्णय उद्घोषित: 23.10.2009

<u>आयकर संदर्भ सं. 23/1989 में सि.वि.सं.11880/2008</u>

आयकर आयुक्त ....याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री रश्मि चोपड़ा, अधिवक्ता

बनाम

मैसर्स एम.एम.टी.सी. ऑफ इंडिया ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री अजय वोहरा, सुश्री कविता झा और श्री अमित सचदेवा, अधिवक्तागण

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति बदर दुर्रेज़ अहमद
माननीय न्यायमूर्ति राजीव शकधर

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? नहीं
2. रिपोर्टर को दिया जाना है या नहीं? हाँ
3. क्या निर्णय डाइजेस्ट में दिया जाना चाहिए? हाँ

<u>न्या. राजीव शकधर</u>

1. संक्षेप में, वर्तमान आवेदन 14.07.2008 के हमारे आदेश के पुनर्विलोकन करने की माँग करता है, जो पूरी तरह से इस तर्क पर आधारित है कि आवेदक/निर्धारिती एक सरकारी उपक्रम है और इसलिए, विभाग ने जिस संदर्भ

को प्राथमिकता दी थी, उसमें कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता था क्योंकि "विवाद संबंधी समिति" से इसकी पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई थी जैसा कि ***तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर: (2004) 6 एस.सी.सी. 437*** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में पाया गया है।

2. हमारा विचार है कि आवेदन एक से अधिक कारणों से अधारणीय हैः पहला, संदर्भ दायर करने का अधिकार क़ानून द्वारा दिया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस अधिकार को नहीं छीन सकता। ***तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (उपरोक्त)*** और उससे पहले और बाद के आयोगों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण से पता चलता है कि वे उस कार्रवाई के अभियोजन पर रोक लगाते हैं जिसमें राज्य की दो संस्थाएं शामिल होती हैं। यदि कोई संदर्भ अनुमोदन के बिना दायर किया जाता है तो इसे अधारणीय नहीं माना जा सकता। कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में जहां भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 171 की व्याख्या के संबंध में मुद्दा उत्पन्न हुआ था कि एक आधिकारिक परिसमापक द्वारा न्यायालय की अनुमति, जो कि अधिदिष्ट है, के बिना किया गया वाद या कार्यवाही में क्या स्थिति रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय की अनुमति के बिना शुरू किया गया वाद या कार्यवाही तब तक अप्रभावी हो सकती है जब तक कि अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती, लेकिन एक बार अनुमति प्राप्त होने के बाद कार्यवाही को "अनुमति देने की तिथि से प्रारंभ

किया गया माना जाएगा।" [देखिएः ***बंसीधर शंकरलाल बनाम मोहम्मद इब्राहिमः (1971) 41 कॉम मामले 21 (एससी)]***/ दूसरा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह विवादास्पद नहीं है कि ***सी.आई.टी. बनाम राष्ट्रीय कृषि को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडः (1999) 236*** मामले में इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ के निर्णय में आयकर संदर्भ सं. 766 संदर्भ में उठाए गए मुद्दे को शामिल किया गया था, विवाद समिति या तो निर्धारिती पर अनुपालन करने के लिए दबाव डाल सकती थी, या वैकल्पिक रूप से, विभाग को संदर्भ दायर करने की अनुमति दे सकती थी। विवाद संबंधी समिति के पास कोई तीसरा विकल्प उपलब्ध नहीं था। तीसरा, हमारा विचार है कि विवाद संबंधी समिति को संदर्भ केवल तभी अनिवार्य है जब कोई विवाद विद्यमान हो। ऐसी परिस्थिति की अनुपस्थिति में, अनुमोदन के लिए विवाद संबंधी समिति से संपर्क करने का कोई अवसर नहीं था; क्योंकि उठाया गया मुद्दा अनिर्णीत विषय नहीं था। अंत में, विवाद संबंधी समिति के माध्यम से मामलों को आगे बढ़ाने का संपूर्ण उद्देश्य यह है कि राज्य और/या उसके साधन धनराशि को नष्ट न करें, और न्यायालयों को ऐसे विवादों से न भर दें जिन्हें शायद अंतर-विभागीय रूप से हल किया जा सकता है। तत्काल स्थिति में, जहां न्यायालय पहले ही संदर्भ में उठाए गए मुद्दों का जवाब दे चुका है, संदर्भ दायर करने हेतु अनुमोदन एक पूर्व-आवश्यकता नहीं थी-क्योंकि संदर्भ ने जो कुछ भी हासिल करने की मांग की थी, वह इस न्यायालय के पहले के निर्णय के अनुरूप

आक्षेपित निर्णय लाना था। अगर हमें मामले को गंभीरता से लेना है, तो तत्काल पुनर्विलोकन आवेदन की संस्था को विवाद संबंधी समिति की मंजूरी मिलनी चाहिए थी जो, उसके पास नहीं है।

3. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

4. यद्यपि, यह पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता के लिए हमारे निर्णय के अनुसार, बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली के बोझ को कम करने हेतु विवाद संबंधी समिति से संपर्क करने में बाधा नहीं बनेगा।

न्या., राजीव शकधर

न्या., बदर दुर्रेज़ अहमद

अक्टूबर 23,2009
एमबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*